लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2041

11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अप्रचालनशील वस्त्र इकाइयां

2041. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कितनी अप्रचालनशील वस्त्र इकाइयां वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं और बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) अप्रचालनशील वस्त्र इकाइयों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इनके प्रचालन को व्यवहार्य और टिकाऊ बनाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) इकाइयों के बंद होने के कारण प्रभावित श्रमिकों की संख्या कितनी है और इस संबंध में पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की ई-सांख्यिकी पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022-23 में तमिलनाडु में वस्त्र और वीयरिंग अपैरल के विनिर्माण से जुड़े कारखानों/कार्यशील कारखानों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

	कारखानों की संख्या	**कार्यशील कारखाने**
वस्त्र विनिर्माण (13)	6468	4713
वीयरिंग अपैरल विनिर्माण (14)	4964	3770
कुल योग	11432	8483

(ख): वस्त्र मिलों के निष्क्रिय होने के मुख्य कारणों में अन्य मुद्दों के साथ-साथ अतिरिक्त क्षमता, आधुनिकीकरण की कमी, खराब प्रबंधन, स्थिर मांग और निर्यात बाजार तक पहुंच में असमर्थता, उभरते क्षेत्रों में विविधता लाने में विफलता, श्रम और बिजली की लागत में वृद्धि, कार्यशील पूंजी की कमी आदि जैसे कई कारक शामिल हैं।

(ग) और (घ): मंत्रालय तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में निष्क्रिय वस्त्र इकाइयों में काम करने वाले कुल कामगारों की संख्या से संबंधित डेटा नहीं रखता है।

सरकार वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख पहलों में वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाले तमिलनाडु में एक पार्क सहित प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क, उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम), समर्थ- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना, जूट (आईकेयर-बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग प्रक्रिया), सिल्क समग्र 2.0, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) आदि शामिल हैं।

***